

कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

संख्या:- प्राथि/परिषद सम्बद्धता/2022/11263

लखनऊ दिनांक: 27-12-2022

:-कार्यालय द्वारा:-

पार्षदी काउन्सिल और शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा वैधित मंत्र 2022-23 हेतु दिल्लीका इन पार्षदी पाठ्यक्रम हेतु अनुसूचित प्रवेश किए जाने के उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 मंत्रालय ने सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 27-12-2022 को लखनऊ कार्यालय के सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई । बैठक के समिति द्वारा मंत्र 2022-23 हेतु सी-सी-आई-0 द्वारा नई दिल्लीका इन पार्षदी पाठ्यक्रमों को प्रदान अनुसूचित के अनुक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न मन्त्रालय को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 20 20 लखनऊ द्वारा मंत्र 2022-23 हेतु विभाजित गर्ल के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनमें अतिरिक्त प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-


संस्था का कोड एवं नाम:- 3054, गिरीन गान्धी कॉलेज और पार्षदी, गजगाई, सोहमदासर, फर्रुखाबाद ।			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सी0सी0आई0 द्वारा मंत्र 2022-23 हेतु अनुसूचित प्रवेश प्रदान	परिषद द्वारा मंत्र 2022-23 हेतु अनुसूचित प्रवेश प्रदान
1	दिल्लीका इन पार्षदी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें-

- ✓ संस्था सी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी ।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद मंत्र 1992 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवर्गी 1992, विनियमवर्गी-2000, गेजेटर विनियमवर्गी-2015 तथा नमक-नमक पर निर्भर सामग्रीयों का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित मुक्त ही प्रवेश प्रदान प्रदान में प्राप्त किया जायेगा। उत्प्रेरक के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से मुक्त के सम्बन्ध में नमक-नमक पर प्रदान द्वारा निर्णय लिये जाने वाले मामलों में प्रवृत्ति हेतु, और गुरुवार पार्षदाएँ किया जाया जायेगा। प्रेष निर्धारित समिति द्वारा प्रति मंत्र 2022-23 हेतु प्रेष का पूर्णतः पालन किया जाया है, जो प्रेष की नवीकरण से प्राप्त होगी ।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रेष दिया जायेगा ।
- ✓ संस्था को नमक-नमक पर निर्भर सामग्रीयों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता मुक्त प्रदान करवा होगा ।
- ✓ संस्थाएं उत्तर प्रदेश नमक द्वारा बनाये गये विधिविहित/अधिनियमो/आयुक्तो/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है ।
- ✓ यदि संस्थाओं का सी0सी0आई0 में अनुसूचित प्रेषित किया जाता है तो इन संबंध में नमक उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा विभाग एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश नमक के सिद्ध प्रति कोई तरह दावा किया जाता है तथा दावा कर के संबंध में या, न्यायपालना द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी प्रवेश निर्णय किया जाता है तो नमक प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी ।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नमक द्वारा प्रवेश करने के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रदान होने के पूर्व सी0सी0आई0 में अनुसूचित प्रेष पर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश) अनुसूचित प्रदान नहीं की जायेगी ।

Handwritten Signature


- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत तवीनतम आदेश नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक मिथा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समय-समय मुक्ताने हेतु संस्था की ऐतिहासिक वृत्ति भूमि, स्टाफ, माज-मज्दा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला भुक्त, छात्रावास भुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ भर्तियों रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था से सम्भावित/संचालित पाठ्यक्रम को समाप्त करने हेतु निर्दिष्ट मिति के समय उपलब्ध कराये गये अधिपत्र, भूमि-पत्र, पत्रिका, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार क्षेत्रीय निर्देश के दौरान यदि संस्था ने भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य माज-मज्दा पीपीपीआरटी/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनगतक कार्यवाही की जायेगी।


 (एनआरटी खान)
 सचिव।

पुनः प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2022/11264-280

तारीख: 27-12-2022

प्राविधिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, गिरगा कम्प्लेक्स ऑफ़ कर्मचारी, लखनऊ, महम्मदाबाद, फतेहाबाद।


 (एनआरटी खान)
 सचिव।

कार्यालय**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:-कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3054-Girish Babu College of Pharmacy

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

●सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/18-3009/9/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की जीव के विरुद्ध माननीय न्यायालय में घोषित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमवाली-2000, सेनेटर विनियमवाली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभृती होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन

करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम दायर किया जाता है तथा दायर कदम के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त, छात्रवास मुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को सलाह देने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के शैक्षिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पदा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निपमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पु०सं०- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, Girish Babu College of Pharmacy



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव